न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 310 / 2026

अनवान : –

1. कमला पत्नि हुनाराम जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. एकता पत्नि श्याम सुन्दर जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कार्तिक पुत्र श्याम सुन्दर जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
2. रवि प्रकाश पुत्र श्याम सुन्दर जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/05/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 386 / 360 की कुल तादादी 4.0330 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके हुनाराम पुत्र हरभज जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा जोगीआसन सं. 3 तहसील नोहर के खाता सं. 6 / 7 की 7.7140 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके हुनाराम पुत्र हरभज जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर 1 / 5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार थे।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हुनाराम पुत्र हरभज के नाम दर्ज है हुनाराम पुत्र हरभज जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर दिनांक 16 / 02 / 2023 को फौत हो चुके है। तथा उनका एक मात्र लड़का श्याम सुन्दर पुत्र हुनाराम दिनांक 19 / 08 / 2019 को फौत हो चुके है। तथा इनके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि के अपने हक व हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 386 / 360 की कुल तादादी 4.0330 हैक्टर भूमि एवं रोही

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा जोगीआसन सं. 3 तहसील नोहर के खाता सं. 6/7 की 7.7140 हैक्टर भूमि में से मृतक हुना पुत्र हरभज के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक हुना पुत्र हरभज का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आशयों की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण हुनाराम व श्याम सुन्दर दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हुनाराम पुत्र हरभज के नाम दर्ज है हुनाराम पुत्र हरभज जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर दिनांक 16/02/2023 को फौत हो चुके है। तथा उनका एक मात्र लड़का श्याम सुन्दर पुत्र हुनाराम दिनांक 19/08/2019 को फौत हो चुके है। तथा इनके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि के अपने हक व हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 386/360 की कुल तादादी 4.0330 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन सं. 3 तहसील नोहर के खाता सं. 6/7 की 7.7140 हैक्टर भूमि में से मृतक हुना पुत्र हरभज के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक हुना पुत्र हरभज का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आशयों

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 386/360 की कुल तादादी 4.0330 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन सं. 3 तहसील नोहर के खाता सं. 6/7 की 7.7140 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि हुनाराम पुत्र हरभज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हुनाराम पुत्र हरभज के नाम दर्ज है हुनाराम पुत्र हरभज जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर दिनांक 16/02/2023 को फौत हो चुके है। तथा उनका एक मात्र लड़का श्याम सुन्दर पुत्र हुनाराम दिनांक 19/08/2019 को फौत हो चुके है। तथा इनके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि के अपने हक व हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 386/360 की कुल तादादी 4.0330 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन सं. 3 तहसील नोहर के खाता सं. 6/7 की 7.7140 हैक्टर भूमि में से मृतक हुना पुत्र हरभज के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक हुना पुत्र हरभज का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आशयों की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा हुनाराम व श्याम सुन्दर के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 386/360 की कुल तादादी 4.0330 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन सं. 3 तहसील नोहर के खाता सं. 6/7 की 7.7140 हैक्टर भूमि

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में से 1/5 हिस्सा भूमि हुनाराम पुत्र हरभज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक हुनाराम पुत्र हरभज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 310 / 2026

अनवान : –

1. कमला पत्नि हुनाराम जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. एकता पत्नि श्याम सुन्दर जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कार्तिक पुत्र श्याम सुन्दर जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
2. रवि प्रकाश पुत्र श्याम सुन्दर जाति छीपा (छीपी) निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 310 सन 2026 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 386 / 360 की कुल तादादी 4.0330 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन सं. 3 तहसील नोहर के खाता सं. 6 / 7 की 7.7140 हैक्टर भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि हुनाराम पुत्र हरभज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक हुनाराम पुत्र हरभज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर